

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/389/

जबलपुर, दिनांक 27/7/2018

श्री रजनीश यादव, नवगठित सेवा के सदस्य (माली), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 06.04.18 से 07.04.18 तक 2 दिन का अर्जित अवकाश एवं अवकाश की पत्रता शेष न होने से दिनांक 08.04.18 से 09.07.18 तक 93 दिन का अवैतनिक किया जाता है साथ ही चेतावनी दी जाती है कि कार्यालय के द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

सही / -

(सतीश चन्द्र राय)

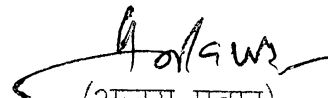
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक 23/10/18

जबलपुर, दिनांक 27/7/2018

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (स्था.), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर
3. अनुभाग अधिकारी लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
4. सहायक सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
5. सहायक वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर को इस निर्देश के साथ कि रोकें गये वेतन का समायोजन कर दिनांक 10.07.18 से वेतन का भुगतान किया जावे,
6. डा. अतिरिक्त प्रति ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर
7. श्री रजनीश यादव, नवगठित सेवा के सदस्य (माली), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(अजय पवार)

ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल)

D.